27/04/2023	अधिवक्ता अपीलांट श्री पारसमल बराडा उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी मौजा अरणाय तहसील सांचौर के नये खसरा नंबर 780 रकबा 0.02 हैक्टेर, खसरा नंबर 781 रकबा 6.30 हैक्टेर, खसरा नंबर 782 रकबा 0.06 हैक्टेर, खसरा नंबर 783 रकबा 3.11 हैक्टेर, खसरा नंबर 784 रकबा 3.66 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 05 को 21 बार नोटिस अवसर पेश किये जाने के संबध मे आदेश दिया गया, किन्तु रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 लगायत 05 द्वारा नोटिस पेश नहीं किये गये। उसके पश्चात दिनांक 11.08.2020 को एकपक्षीय सुनवाई की जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया। अपीलांट ईसराराम की मृत्यु दिनांक 22.11.2019 को हो गई थी। रेस्पोडेन्टगण को इस बाबत पूर्ण जानकारी होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ईसराराम के कायम मुकाम रेकर्ड पर लिये जाने बाबत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही इस संबध मे कोई जानकारी अधीनस्थ न्यायालय मे दी गई। अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकर्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण अपीलांट की पुश्तैनी आराजी से बेदखल कर कब्जा करने पर उतारू है। अगर वे अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपूर्णनीय क्षति होगी। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति स्थगित की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो को अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे अपीलांट ईसराराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार ईसराराम का देहान्त दिनांक 22.11.2019 को हो चुका था। पत्रावली मे संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण द्वारा ईसराराम के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये जाने बाबत कोई कार्यवाही जैर अपील आदेश पारित किये जाने एवं आदिनांक तक नहीं की गई है। उक्त समस्त दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध जैर अपील आदेश पारित किया गया है।

किन्तु प्रकरण मे यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी से संबधित मूल अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आदिनांक तक लंबित है एवं वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल आदेश उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। ऐसी परिस्थितियो मे उक्त अपील को हाजा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील मे उठाये गये समस्त उज्र के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अत उपरोक्त विवेचन के आधार पर सहायक कलक्टर सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे आपके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 48/2017 बउनवान सोनाराम ~~वगै~~ बनाम ईसराराम वगैरह के अन्तर्गत अपीलांट के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाकर उभयपक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 02 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

27/4/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली